अनुबंध 2.6
एलबीएस और सीबीएस के संकलन की कार्यप्रणाली

एलबीएस में रिपोर्टिंग क्षेत्र के भीतर स्थित सभी बैंकिंग कार्यालयों की स्थिति के संबंध में आँकड़े संग्रहीत करने की व्यवस्था की जाती है। ऐसे कार्यालय केवल अपने (असमेकित) कारोबार की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें इस प्रकार से उनके किसी ऐसे संबद्ध कार्यालय (शाखा, सहयोगी, संयुक्त उद्यम) के साथ किये गये अंतरराष्ट्रीय लेनदेन शामिल होते हैं, जो या तो रिपोर्टिंग क्षेत्र के भीतर या बाहर स्थित होते हैं । रिपोर्टिंग प्रणाली में अंतर्निहित मौलिक सांगठनिक सिद्धांत बैंकिंग कार्यालय का निवास होता है । यह भुगतान संतुलन और बाह्य ऋण पद्धति के अनुरूप होता है । इसके अतिरिक्त, स्वामित्व या राष्ट्रीयता के आधार पर आँकड़ों की गणना भी उद्गम देश के अनुसार पुनः समूहीकृत करके की जाती है । इस प्रकार, एलबीएस रिपोर्टिंग देश के भीतर परिचालनरत देशी और विदेशी बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं, दोनों को शामिल करते हैं। एलबीएस आँकड़ों का वर्गीकरण मुद्रा (देशी और विदेशी मुद्रा), क्षेत्र (बैंक और बैंकेतर) और काउंटर पार्टी का निवास देश और रिपोर्टिंग बैंकों की राष्ट्रीयता के अनुसार किया जाता है ।

सीबीएस बैंकों के तुलनपत्र के आस्ति पक्ष पर ध्यान देता है । आँकड़े मुख्यतः देशी बैंक कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किये गये वित्तीय दावों को शामिल करते हैं, जिसमें उनके विदेश में संबद्ध कार्यालयों के जोखिम शामिल होते हैं और अंतर-बैंक लेनदेनों की असली स्थिति बताते हुए वैश्विक आधार पर संग्रहीत किये जाते हैं । स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी के विपरीत, समेकित बैंकिंग सांख्यिकी में आस्तियों के परिपक्वता संबंधी ब्यौरे आवश्यक होते हैं और उनमें सूक्ष्मतर विश्लेषण (बैंक, बैंकेतर सरकारी क्षेत्र और बैंकेतर निजी क्षेत्र) भी आवश्यक होता है । अतिरिक्त जानकारी का उपयोग लेनदार के पक्ष से बाह्य ऋण सांख्यिकी का संकलन और मूल्यांकन करते समय स्थानीकृत बैंकिंग आँकड़ों के अनुपूरक के रूप में किया जा सकता है, यद्यपि स्थानीकृत सांख्यिकी के विपरीत समेकित सांख्यिकी में अंतर्निहित रिपोर्टिंग प्रणाली भुगतान संतुलन और बाह्य ऋण पद्धति के अनुरूप नहीं होती है । इस प्रकार, सीबीएस में, रिपोर्टिंग देश (उदाहरणार्थ, भारत) में जिन बैंकों के प्रधान कार्यालय हैं, वे रिपोर्टिंग देश में और विदेश में अपने सभी कार्यालयों के लिए कुल आस्तियों के संबंध में आँकड़े देते हैं, जिनमें अंतर-बैंक लेनदेनों को शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात् आँकड़े समेकित आधार पर रिपोर्ट किये जाते हैं । रिपोर्टिंग देश में (उदाहरणार्थ भारत) परिचालनरत विदेशी बैंकों के संबद्ध कार्यालय/शाखाएँ रिपोर्टिंग देश से भिन्न देशों पर अपने दावों की रिपोर्ट भी रिपोर्टिंग देश के बाहर अपने कार्यालयों के लेनदेनों सहित करते हैं ।

सीबीएस में रिपोर्टिंग बैंकों को तीन कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, देशी बैंक, जिनका प्रधान कार्यालय भारत में होता है, 'इनसाइड एरिया फॅारेन बैंक्स', जिनके प्रधान कार्यालय बीआइएस रिपोर्टिंग देशों के बाहर होते हैं । बैंकों की तीन कोटियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दावों की रिपोर्टिंग/पृथक्करण के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाता है :

रिपोर्टिंग देशों के बैंकों (अर्थात् देशी बैंक) के प्रधान कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है वे दुनिया भर के अपने कार्यालयों के वित्तीय दावों के संबंध में अपनी रिपोर्ट अंतिम जोखिम और आसन्न उधारकर्ता, दोनों ही आधार पर दें; वैश्विक समेकित रिपोर्टिंग में यह आवश्यक होता है कि, उदाहरण के लिए किसी भारतीय बैंक, जिसकी अमेरिका में विदेशी शाखा हो, को चाहिए कि -(क) वह अपनी देशी शाखाओं के सभी अनिवासियों से संबंधित दावे, (ख) अमेरिका में अपनी विदेशी शाखा के सभी अनिवासियों (लेकिन भारत में संस्थाओं से भिन्न) के संबंध में दावे, और (ग) अमेरिका में अपनी विदेशी शाखा के सभी निवासियों/संस्थाओं से अमेरिका में अपने दावे के संबंध में, जो अमरीकी डालर से भिन्न मुद्रा में हो, रिपोर्ट करे । भारत में अपने प्रधान कार्यालय और अमेरिका में इसकी विदेशी शाखा के बीच दावों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विदेशी शाखाओं को अपनी स्थानीय आस्तियों और स्थानीय देयताओं की स्थानीय मुद्रा में रिपोर्ट करनी होती है।

रिपोर्टिंग देश में बैंक के कार्यालय, जिनका प्रधान कार्यालय दूसरे रिपोर्टिंग देश में स्थित है (अर्थात् इनसाइड एरिया फॉरेन बैंक्स, जैसेकि अमेरिका के किसी बैंक का मुम्बई कार्यालय, जहाँ अमेरिका बीआइएस रिपोर्टिंग देश है), को उनके केवल अपने देश की संस्थाओं के संबंध में दावों का असमेकित आँकड़ा देना होता है (उदाहरणस्वरूप, किसी अमेरिकी बैंक की भारत में शाखा या सहयोगी बैंक को केवल

अनुबंध 2.6
एलबीएस और सीबीएस के संकलन की कार्यप्रणाली *(जारी)*

अमेरिका के संबंध में अपने दावों की रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि अन्य देशों के इसके दावे, जो इसके प्रधान कार्यालय बीआइएस को रिपोर्ट किये जाते हैं, की दुबारा गणना से बचा जा सके) और केवल आसन्न उधारकर्ता आधार पर असमेकित आँकड़ा देना होता है । इसलिए, इन आँकड़ों में बैंकों की किसी भी स्थिति की तुलना में अपने देश के उनके संबद्ध बैंकों या प्रधान कार्यालयों की स्थिति को शामिल किया जा सकता है ।

रिपोर्टिंग देशों के बैंक कार्यालय, जिनका प्रधान कार्यालय रिपोर्टिंग देशों के बाहर हो, (अर्थात् आउटसाइड एरिया बैंक, जैसे कि किसी थाई बैंक का मुम्बई कार्यालय, जहाँ थाईलैंड बीआइएस रिपोर्टिंग देश नहीं है), को अनिवासियों के संबंध में उनके अपने देश सहित वित्तीय दावों का असमेकित आँकड़ा केवल आसन्न उधारकर्ता आधार पर देना होता है ।

अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं के तीन प्रमुख उप-घटक होते हैं : (i) ऋण एवं जमा, (ii) ऋण प्रतिभूतियों का धारण और ऋण प्रतिभूतियों का अपना निर्गम, और (iii) अन्य आस्तियाँ और देयताएँ। 'अन्य आस्तियाँ और देयताएँ' में मुख्यतः आस्ति पक्ष में इक्विटी शेयर (जिसमें म्युचुअल और निवेश निधि यूनिटें और बैंक के अपने नाम में लेकिन अन्य पक्ष की ओर से शेयरों का धारण शामिल है), सहभागिता और प्रधान कार्यालयों द्वारा विदेश में अपनी शाखाओं को दी गयी कार्यशील पूँजी और देयता पक्ष में स्थानीय शाखाओं द्वारा विदेश में अपने प्रधान कार्यालय से प्राप्त कार्यशील पूँजी समाविष्ट होते हैं ।

बीआइएस ने समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) के लिए अपने दिशानिर्देशों को अपने रिपोर्टिंग फार्मैट में आशोधन करके और उत्पादों में वित्तीय लिखतों, यथा, डेरिवेटिव, गारंटी, आदि को शामिल करते हुए, उनकी व्याप्ति बढ़ाकर संशोधित किया । संशोधित प्रणाली मार्च 2005 की रिपोर्टिंग तिमाही से कार्यान्वित की गयी है, जिसमें वर्तमान मदों के अतिरिक्त देशी रिपोर्टिंग बैंकों के अंतिम जोखिम आधा र पर डेरिवेटिवों, गारंटियों ओर ऋण वायदों से उत्पन्न दावों को शामिल किया जाता है ।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी में प्रयोग किये गये पद

सीमापार क्रय-विक्रय स्थिति	:	यह अनिवासियों के साथ किसी भी मुद्रा में लेनदेन (आस्तियाँ/देयताएँ) को निर्दिष्ट करता है ।
अंतरराष्ट्रीय स्थिति	:	बैंकों के तुलनपत्र में आने वाली आस्तियों एवं देयताओं की तुलना में अनिवासियों की कोई मुद्रा और तत्समान आस्तियों एवं देयताओं की तुलना में निवासियों की विदेशी मुद्रा
विदेशी दावे	:	इसे देशी बैंकों की विदेशी शाखाओं के सीमापार दावों और स्थानीय दावों में अलग-अलग किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इसे अंतरराष्ट्रीय दावे और स्थानीय मुद्राओं में मूल्यवर्गित स्थानीय दावों में भी अलग-अलग किया जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय दावे	:	इन्हें सीमापार दावों और विदेशी मुद्रा में स्थानीय दावों के रूप में परिभाषित किया जाता है ।
सीमापार दावे	:	ये दावे उन उधारकर्ताओं के संबंध में होते हैं, जो देश के बाहर वहाँ रहते हैं, जहाँ दावा करने वाले बैंक का कार्यालय स्थित होता है ।
स्थानीय दावे	:	यह दावा देशी बैंकों के विदेशी कार्यालयों द्वारा उस देश के निवासी के संबंध में किया जाता है, जहाँ विदेशी कार्यालय स्थित है ।

अनुबंध 2.6
एलबीएस और सीबीएस के संकलन की कार्यप्रणाली *(जारी)*

एलबीएस और सीबीएस के संकलन की कार्यप्रणाली और एलबीएस में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न पदों का एक उदाहरण की मदद से स्पष्टीकरण

आइबीएस आँकड़ों की रिपोर्टिंग

रिपोर्टिंग बैंक	आस्तियाँ/देयताएँ	मुद्रा+		के पास आस्तियाँ/..के प्रति देयताएँ			
				आइएन	एलके	यूएस	एक्सएक्स
				1	2	3	4
घरेलू (भारतीय) बैंकों की भारत (आइएन) में शाखाएँ	आस्ति	स्थानीय	ए	—	15	25	10 *
		गैर स्थानीय	बी	15	5	30	10
	देयता	स्थानीय	सी	—	15	20	10 *
		गैर स्थानीय	डी	12	15	10	5
घरेलू (भारतीय) बैंकों की अमरिका में शाखाएँ	आस्ति	स्थानीय	ई	25	10	30	5
		गैर स्थानीय	एफ	20	30	35	10
	देयता	स्थानीय	जी	—	—	35	—
		गैर स्थानीय	एच	—	—	—	—
अमरिका स्थित बैंकों की भारत (आइएन) में शाखाएँ (इनसाइड एरिया बैंक)	आस्ति	स्थानीय	आई	—	20	25	15
		गैर स्थानीय	जे	10	15	30	5
	देयता	स्थानीय	के	—	20	35	10
		गैर स्थानीय	एल	25	20	40	5
श्रीलंका स्थित बैंकों की भारत (आइएन) में शाखाएँ (आउटसाइड एरिया बैंक)	आस्ति	स्थानीय	एम	—	20	15	10
		गैर स्थानीय	एन	10	30	20	15
	देयता	स्थानीय	ओ	—	12	25	10
		गैर स्थानीय	पी	20	15	35	10

आइएन – भारत, एलके - श्रीलंका, यूएस - अमेरिका, एक्सएक्स - कोई विनिर्दिष्ट देश नहीं ।

+ स्थानीय/गैर स्थानीय मुद्रा रिपोर्टिंग शाखाओं के परिचालन देश के अनुसार होती है।

* आस्ति/देयता अपने ही कार्यालय के पास/के प्रति होती है, जो देश 'एक्सएक्स' में परिचालन करते हैं ।

'-' आइबीएस रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित नहीं ।

अनुबंध 2.6
एलबीएस और सीबीएस के संकलन की कार्यप्रणाली *(जारी)*

एलबीएस/सीबीएस का संकलन

स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एल बी एस)

देश	अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ		अंतरराष्ट्रीय देयताएँ	
आइएन	बी1+जे1+एन1	35	डी1+एल1+पी1	57
एलके	ए2+बी2+आइ2+जे2+एम2+एन2	105	सी2+डी2+के2+एल2+ओ2+पी2	97
यूएस	ए3+बी3+आइ3+जे3+एम3+एन3	145	सी3+डी3+के3+एल3+ओ3+पी3	165
एक्सएक्स	ए4+बी4+आइ4+जे4+एम4+एन4	65	सी4+डी4+के4+एल4+ओ43+पी4	50

समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सी बी एस)

निगमन के देश के अनुसार रिपोर्टिंग बैंक		सीमापारीय दावे (सभी मुद्राओं में)	मुद्रा में स्थानीय दावे		अंतरराष्ट्रीय दावे	विदेशी दावे
			गैर स्थानीय	स्थानीय		
1		2	3	4 [='1'+'2']	5 [='3'+'4']	
धरेलू (भारतीय) बैंक	एक्स	140	35	30	175	205
इनसाइड एरिया बैंक	वाई	55	—	—	55	55
आउटसाइड एरिया बैंक	जेड	110	—	—	110	110

टिप्पणी: अपने देश पर दावों (अर्थात्, भारत) को सीबीएस में शामिल नहीं किया गया है

एक्स1 = 140 (=ए2+ए3+ए4+बी2+बी3+ई2+ई4+एफ2+एफ4)	एक्स2 = 35 (=एफ3) एक्स3=30(=ई3)
वाई1 = 55 (=आई3+जे3)	जेड1 = 110 (=एम2+एम3+एम4+एन2+एन3+एन4)

`-' सीबीएस रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित नहीं ।